न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद प्रकारण संख्या 80/2019

1. कुलदीप कुमार पुत्र श्री आदराम जाति जाट उम्र 28 वर्ष निवासी चक 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. कमलदीप पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट उम्र 25 वर्ष निवासी चक 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

— — वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री ठाकरराम
2. आदराम पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
3. कृष्णलाल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह

} कौम जाट निवासीयान चक 13 क्यू तह0 व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

4. सुनीता पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 36 एच, नग्गी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
5. सन्तोष पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी श्री हरीसिंह जाति जाट निवासी रामपुरा न्यौला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
6. अमनदीप पुत्र श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी चक 13 क्यू तह. व जिला श्रीगंगानगर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा आदेश 53, 88 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी — — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी — — प्रतिवादी 1 ता 6
3. पैरोकार राज — — प्रतिवादी 7

दिनांक :–03.09.2019

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण चचेरे भाई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 दादाजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी संख्या 1 के पिताजी तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादी संख्या 2 के पिताजी एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वादीगण की बुआजी एवं प्रतिवादी संख्या 6, वादी

संख्या 2 का भाई है। चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 3.542 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि वादीगण के दादाजी/प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह पुत्र ठाकरराम के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है एवं चक 13 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 2.733 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि वादीगण के दादाजी/प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह पुत्र ठाकरराम के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। वादीगण के दादाजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि वादीगण के पड़दादाजी ठाकरराम से प्राप्त हुई होने के कारण एवं विरास्तन सम्पति की आय से खरीद की हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है। वादीगण का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 की प्रमाणित प्रतिलिपीयां संलग्न दावा है। वादीगण के पिताजी व वादीगण के दादाजी ने वादीगण के साथ हुए पारिवारिक समझौता अनुसार चक 11 क्यू में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू विभाजन किया

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
आदराम पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी चक 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 13 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 7, 8 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि
कृष्णलाल पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी चक 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 14, 15 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि
कुलदीप कुमार पुत्र आदराम जाति जाट निवासी चक 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 13 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1(0.228 है.) 2, 3, 4, 5, 9(प्रत्येक में 0.253 है.), 10(0.228 है.) कुल 1.721 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि
कमलदीप पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी चक 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 16, 17 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21(0.227 है.), 22, 23, 24, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.745 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि
महेन्द्र सिंह पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी चक 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11/2(0.051 है.), 12, 13, 18, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20 (0.228 है.) कुल 1.291 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि एवं चक 13 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत्

	2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6, 15 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 षडयन्त्रपूर्वक वादीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादीगण को धमकिंया देते रहते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 षड्यन्त्र करके उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने, प्रतिवादीगण को दिनांक 19/06/2019 को, वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये है । यही वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के दादाजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी संख्या 1 के पिताजी एवं प्रतिवादी संख्या 3 वादी संख्या 2 के पिताजी होने के कारण आवष्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीयां होने के कारण तथा प्रति. संख्या 6 वादी संख्या 2 का भाई होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाये गये है ।

वादीगण द्वारा वाद पत्र पेश कर निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया :–

(क) कि चक 11 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 3.542 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि एवं चक 13 क्यू पटवार हल्का बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 की कुल 2.733 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित टेबल अनुसार विभाजन घोषित किया जावे ।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो दिलवाया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.07.2019 को स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया जिसके तथ्यानुसार उक्त अनवानी प्रकरण में पक्षकारान का पंचायत व मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान के मध्य अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 13 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 7, 8 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि आदराम पुत्र महेन्द्रसिंह को, चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 14, 15 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि कृष्णलाल पुत्र महेन्द्र सिंह को, चक 13 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1(0.228 है.) 2, 3, 4, 5, 9(प्रत्येक में 0.253 है.), 10(0.228 है.) कुल 1.721 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि कुलदीप कुमार पुत्र आदराम को, चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 16, 17 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21(0.227 है.), 22 , 23, 24, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.745 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि कमलदीप पुत्र कृष्णलाल को, चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11/2(0.051 है.), 12, 13, 18, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20 (0.228 है.) कुल 1.291 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि एवं चक 13 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6, 15 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि महेन्द्र सिंह पुत्र ठाकरराम कौम जाट निवासी चक 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर को दी हुई है। अतः चक 13 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 7, 8 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि आदराम पुत्र महेन्द्रसिंह की, चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 14, 15 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि कृष्णलाल पुत्र महेन्द्र सिंह की, चक 13 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1(0.228 है.) 2, 3, 4, 5,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

9(प्रत्येक में 0.253 है.), 10(0.228 है.) कुल 1.721 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि कुलदीप कुमार पुत्र आदराम की, चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 16, 17 (प्रत्येक में 0.253 है.), 21(0.227 है.), 22 , 23, 24, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.745 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि कमलदीप पुत्र कृष्णलाल की, चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11/2(0.051 है.), 12, 13, 18, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20 (0.228 है.) कुल 1.291 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि एवं चक 13 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6, 15 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि महेन्द्र सिंह पुत्र ठाकरराम कौम जाट निवासी चक 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा दिनांक 20.08.2019 को स्टेट जवाब पेश किया गया जिसके कथनानुसार भूमि का विाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि राज्य हितों को मध्या नजर रखते हुए निर्णय किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के कथनों का अवलोकन किया गया।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

–:: आदेश ::–

राजीनामा के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से पक्षकारों को खोदार घोषित किया जाता है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	भूमि का विवरण
1	आदराम पुत्र महेन्द्रसिंह	चक 13 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा

		नम्बर 10 के किला नम्बर 7, 8 (प्रत्येक में 0. 253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि
2	कृष्णलाल पुत्र महेन्द्र सिंह	चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 14, 15 (प्रत्येक में 0. 253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि
3	कुलदीप कुमार पुत्र आदराम	चक 13 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1(0.228 है.) 2, 3, 4, 5, 9(प्रत्येक में 0.253 है.), 10(0.228 है.) कुल 1.721 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि
4	कमलदीप पुत्र कृष्णलाल	चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 16, 17 (प्रत्येक में 0. 253 है.), 21(0.227 है.), 22 , 23, 24, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.745 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि
5	महेन्द्र सिंह पुत्र ठाकरराम	चक 11 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 54/50 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 11/2(0.051 है.), 12, 13, 18, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20 (0.228 है.) कुल 1.291 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि एवं चक 13 क्यू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 39/36 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6, 15 (प्रत्येक में 0. 253 है.) कुल 0.506 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 03.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर